राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Email – udaanscheme.cce@gmail.com

क्रमांकः– एफ4(200)(3)आकाशि/उड़ान योजना/2024/ दिनांकः

प्राचार्य,
समस्त जिला नोडल अधिकारी (उड़ान योजना),
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।

विषयः– आई.एम. शक्ति उड़ान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु राजकीय महाविद्यालयों का मासिक रूप से भौतिक निरीक्षण करने के संबंध में।

सदर्भः– निदेशालय महिला अधिकारिता का राजकाज पत्रांक 8005750 दिनांक 18.06.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में समस्त जिला नोडल अधिकारियों (उड़ान योजना) को निर्देशित कर लेख है कि उड़ान योजनान्तर्गत अपने क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों का दिये गये पत्र के संदर्भ में **मासिक रूप से भौतिक निरीक्षण** कर निरीक्षण संबंधित सूचना का संकलन निर्धारित प्रारूप (पत्र में संलग्न) में संधारित करने का श्रम करें।

उपरोक्त के क्रम में समस्त जिला नोडल अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लेवें कि प्रति माह किये जाने वाले भौतिक निरीक्षण अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार हो कि, प्रत्येक तीन माह में जिले के समस्त राजकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण संबंधी कार्य सम्पूर्ण किया जा सकें।

समस्त जिला नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह में जितने राजकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, उनकी निरीक्षण की रिपोर्ट (निर्धारित प्रारूप में संधारित सूचना की प्रति) प्रतिमाह विभाग की ईमेल udaanscheme.cce@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–

1. संदर्भित पत्र एवं सूचना संकलन हेतु निर्धारित प्रारूप।

(अजय असवाल)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक (अकादमिक शाखा), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, को अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त

RajKaj Ref
8158461

Signature valid
Digitally signed by Ajay Aswal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.06.19 21:02:35 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय महिला अधिकारिता

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

फोन 0141–2716452, ई–मेलः udaan.we@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– प.19(2)(15)निमअ/उड़ान/मॉनिटरिंग/2022 –E00467 P2/ **जयपुर, दिनांक :**

समस्त नोडल अधिकारी (उड़ान योजना)
विभाग..

विषयः– आई.एम.शक्ति उड़ान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु वितरण केन्द्रों के भौतिक निरीक्षण हेतु तैयार नवीन निरीक्षण प्रपत्र के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रदेश में आई एम शक्ति योजना के विभिन्न आयामों की क्रियान्विति, सैनेटरी नैपकिन वितरण मे पारदर्शिता एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु विभागीय पत्रांक प. 19(2)(40)निमअ/उड़ान/वितरण/2023/5516 दिनांक 19.05.2023 द्वारा योजनान्तर्गत सैनेटरी नैपकिन वितरण प्रणाली के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई थी।

उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक लाभार्थी को योजना का लाभ सुनिश्चित करने हेतु जिला/उपखण्ड/ तहसील/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से वितरण केन्द्रों का पाक्षिक/मासिक रूप से भौतिक निरीक्षण किए जाने का प्रावधान किया जाकर लक्ष्य भी निर्धारित किए गये है।

इसी क्रम में विभाग द्वारा वितरण केन्द्रों के भौतिक निरीक्षक के दौरान सूचना संकलन हेतु नवीन निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

उपरोक्त क्रम में लेख है कि आपके विभाग से सम्बंधित निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को उपरोक्त निरीक्षण प्रपत्र की प्रति उपलब्ध करवाते हुए योजनान्तर्गत वितरण केन्द्रों के निरीक्षण हेतु भविष्य में उनके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले सभी निरीक्षण कार्यक्रमों के दौरान निरीक्षण सम्बंधित समस्त सूचना उपरोक्त प्रपत्र में संधारित किए जाने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।

संलग्न – मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) एवं नवीन निरीक्षण प्रपत्र की प्रति।

आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांकः– प.19(2)(15)निमअ/उड़ान/मॉनिटरिंग/2022 –E00467 P2/ **जयपुर, दिनांक :**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
4. सम्बंधित समस्त विभागाध्यक्ष
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
8005750

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by B[illegible]u Karunakar
Designation : Com[illegible]sioner
Date: 2024.0[illegible]:30:41 IST
Reason: Approv[illegible]

उड़ान योजनान्तर्गत वितरण केन्द्रों के निरीक्षण हेतु प्रारूप

1	अधिकारी / कर्मचारी का नाम		
2	पदनाम एवं पदस्थापन कार्यालय		
3	वितरण केन्द्र का नाम मय ब्लॉक एवं जिला (जिसका निरीक्षण किया गया है)		
4	सम्बंधित विभाग (जिससे वितरण केन्द्र सम्बंधित है)		
5	वितरण केन्द्र प्रभारी का नाम एवं पदनाम मय मोबाईल नम्बर (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / अध्यापक / नोडल अधिकारी)		
सप्लाई			
6	वितरण केन्द्र पर अन्तिम आपूर्ति कब प्राप्त हुई		
7	आपूर्तिकर्ता फर्म / सप्लायर का नाम		
8	केन्द्र पर प्राप्त आपूर्ति की मात्रा (प्राप्ति चालान अनुसार)		
9	क्या आपूर्ति मांग अनुरूप सही प्राप्त हुई है ?		हाँ / नहीं (यदि नहीं, तो मांग / प्राप्ति चालान अनुसार आपूर्ति प्राप्त नहीं होने के सम्बंध में पृथक से रिपोर्ट संलग्न की जावें)
10	क्या आपूर्ति की पैकिंग कार्टन में की गई है ?		हाँ / नहीं
11	प्रत्येक कार्टन में 144 सैनेटरी नैपकिन पैकेट है ?		हाँ / नहीं
12	क्या सैनेटरी नैपकिन के प्रत्येक कार्टन पर "Rajasthan Govt. Supply-Not for Sale" अंकित है ?		हाँ / नहीं
13	क्या आपूर्ति किए गये सैनेटरी नैपकिन के पैकेट पर एक्सपायरी डेट अंकित है तथा आपूर्ति किए गये सैनेटरी नैपकिन की उपयोग करने की अवधि 75% से अधिक शेष है ?		हाँ / नहीं
14	क्या प्राप्ति चालान में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बैच नम्बर एवं दिनांक का अंकिन किया गया है ?		हाँ / नहीं
15	बिन्दु संख्या 10–15 में अंकित बिन्दु अनुसार क्या केन्द्र पर प्राप्त आपूर्ति की पैकिंग निर्धारित मापदण्ड़ों के अनुरूप है ?		हाँ / नहीं (यदि नहीं, तो इस सम्बंध में पृथक से रिपोर्ट संलग्न की जावें)
आपूर्ति			
16	क्या केन्द्र पर वितरण रजिस्ट का संधारण किया जा रहा है ?		हाँ / नहीं
17(a)	निरीक्षण दिनांक तक केन्द्र से सैनेटरी नैपकिन प्राप्तकर्ता लाभार्थियों की संख्या	अबतक कुल लाभार्थी	
17(b)		निरीक्षण दिनांक तक कुल लाभार्थी (इस माह में)	
18	क्या वितरण रजिस्ट में लाभार्थी के जनाधार एवं मोबाईल नम्बर एवं हस्ताक्षर अंकित है ?		हाँ / नहीं (यदि नहीं, तो इस सम्बंध में पृथक से रिपोर्ट संलग्न की जावें)
स्टॉक			
19	निरीक्षण दिनांक तक केन्द्र पर उपलब्ध सैनेटरी नैपकिन की संख्या (पैकेटस् में)		
20	टिप्पणी		

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर